प्रेस प्रकाशनी

सोमवार, 21 फरवरी, 2011 को आरंभ हुए संसद के बजट सत्र, 2011 को शुक्रवार, 25 मार्च, 2011 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

2. बजट सत्र, 2011 की मूल समय-सारणी के अनुसार, दोनों सदनों को बुधवार, 16 मार्च, 2011 को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया जाना था और मध्यावकाश के बाद सोमवार, 4 अप्रैल, 2011 को पुन: एकत्रित होना था और गुरूवार, 21 अप्रैल, 2011 को समाप्त किया जाना था। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पांच राज्य विधान सभाओं अर्थात (i) तमिलनाडु, (ii) केरल, (iii) पुदुचेरी, (iv) असम और (v) पश्चिम बंगाल के चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी इसलिए संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं ने मांग की कि बजट सत्र की समय-सारणी पुन: नियत की जाए ताकि वे चुनाव अभियान में भाग ले सकें। तदनुसार, विपक्ष और सरकार के बीच संसद के बजट सत्र, 2011 को समस्त आवश्यक वित्तीय कार्य निपटाने के पश्चात शुक्रवार, 25 मार्च, 2011 को समाप्त करने के लिए परस्पर सहमति बनी। संशोधित समय-सारणी में पहले निर्धारित 29 बैठकों की अपेक्षा कुल 23 बैठकें हुई।

3. बजट सत्र, 2011, वर्ष का प्रथम सत्र होने के नाते, 21 फरवरी, 2011 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। लोक सभा में श्री पी.सी. चाको द्वारा प्रस्तावित और श्री मनीष तिवारी द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सभा में श्री जनार्दन द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित और सुश्री जयंती नटराजन द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा चर्चा की गई और इसे स्वीकृत किया गया।

4. संसद में वर्ष 2011-12 के लिए रेल बजट शुक्रवार, 25 फरवरी, 2011 को, आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रवार, 25 फरवरी, 2011 को और वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बजट सोमवार, 28 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में रेल और सामान्य बजटों पर सामान्य चर्चा हुई। लोक सभा में अनुपूरक मांगों (सामान्य) और अनुपूरक मांगों (रेल) पर भी चर्चा और मतदान हुआ। इन मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा इन विनियोग विधेयकों पर विचार किया गया और लौटाया गया।

5. लोक सभा द्वारा रेल संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया और तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा लौटाया गया। इस सत्र के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा ने केंद्रीय राजस्व को देय लाभांश के संबंध में रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों संबंधी एक संकल्प पर भी विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

6. लोक सभा द्वारा ग्रामीण विकास, विदेश तथा खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। जिन शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी, उन्हें सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया और उन पर गुरूवार, 17 मार्च, 2011 को पूर्ण मतदान हुआ। वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान मांगों (सामान्य) से संबंधित विनियोग विधेयक को भी लोक सभा में पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया और तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा लौटाया गया। इस अवधि के दौरान, राज्य सभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा की गई। दोनों सदनों द्वारा वित्त विधेयक, 2011 पर भी विचार किया गया और पारित/लौटाया गया। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में तीन और राज्य सभा में एक अल्पावधि चर्चा की गई। लोक सभा में तीन और राज्य सभा में दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। लोक सभा में दो आधे-घंटे की चर्चा भी हुई।

7. सत्र के दौरान 14 विधेयक (11 लोक सभा में और 3 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 8 है। पुर:स्थापित/पारित विधेयकों की सूची संलग्न है।

*****

बजट सत्र 2011 के दौरान संसद में निष्पादित विधायी कार्य

I-लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2011
2. विनियोग (रेल) विधेयक, 2011
3. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2011
4. विनियोग विधेयक, 2011
5. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2011
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011
7. बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
8. संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011
9. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011
10. आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011
11. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

II-लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. कैदियों का संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010
2. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2010
3. विनियोग (रेल) विधेयक, 2011
4. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2011
5. विनियोग विधेयक, 2011
6. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2011
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011
8. वित्त विधेयक, 2011
9. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
10. सिक्का निर्माण विधेयक, 2009

III-राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थपनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011
2. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
3. बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2011

IV-राज्य सभा द्वारा पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक

1. विनियोग (रेल) विधेयक, 2011
2. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2011
3. विनियोग विधेयक, 2011

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011
5. कैदियों का संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011
6. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2011
7. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011
8. संविधान (113वां संशोधन) विधेयक, 2011
9. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2011
10. वित्त विधेयक, 2011

V-संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए/लौटाए गए विधेयक

1. विनियोग (रेल) विधेयक, 2011
2. विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2011
3. विनियोग विधेयक, 2011
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011
5. कैदियों का संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011
6. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2011
7. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2011
8. वित्त विधेयक, 2011

VI-वापिस लिए गए विधेयक

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थपनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2005